



Neutral Citation No. - 2026:AHC:55833

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 10231/2026

प्रेम पाल ढांगर

..... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : राजेश कुमार

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 36

माननीय न्यायमूर्ति अरुन कुमार

1. याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार तिवारी और प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना।
2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत वर्तमान रिट याचिका जिला स्तरीय जाति जांच समिति द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.10.2025 को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसमें याचिकाकर्ता के जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया गया था और संभागीय स्तर जाति जांच समिति द्वारा पारित दिनांक 02.02.2026 के आदेश को चुनौती दी गई है।
3. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों में से एक **कुमारी माधुरी पाटिल और अन्य बनाम अतिरिक्त आयुक्त, आदिवासी विकास और अन्य, एआईआर 1995 एससी 94** के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर आधारित है और यह आग्रह किया जाता है कि उस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने इस आशय के स्पष्ट निर्देश जारी किए थे कि ऐसे मामलों की सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा अनिवार्य रूप से जांच की जानी चाहिए।



4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता के पिता को अनुसूचित जाति श्रेणी में धनगर जाति का जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया था, हालांकि, उक्त तथ्य को केवल इस आधार पर नजरअंदाज कर दिया गया है कि वह मूल जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका। यह केवल तब होता है जब याचिकाकर्ता के पिता को जारी मूल जाति प्रमाण पत्र रिकॉर्ड तहसीलदार से तलब किया गया था कि एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी कि, वर्ष 1981 से संबंधित मूल रिकॉर्ड उनके कार्यालय में उपलब्ध नहीं था।

5. अतिरिक्त रूप से, इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 07 जुलाई, 2022, रिट-C संख्या 3797 वर्ष 2022, (मोहम्मद सलमान बनाम उ०प्र० राज्य जरिए मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग एवं अन्य) पर भी निर्भरता रखी गई है। यह तर्क दिया गया है कि वर्तमान प्रकरण में आक्षेपित आदेश, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मुमारी माधुरी पाटिल बनाम अपर आयुक्त, जनजाति विकास में प्रतिपादित विधि के अनिवार्य उपबंधों का पालन किए बिना पारित किए गए हैं।

6. इसके विपरीत, विद्वान स्थायी अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 के समक्ष रखी गई सामग्री का विस्तृत विश्लेषण करने के बाद आक्षेपित आदेश पारित किए गए हैं, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, वह इस बात पर विवाद नहीं कर सके कि कुमारी माधुरी पाटिल (पूर्वोक्त) में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा कोई जांच नहीं की गई थी।

7. उपरोक्त अंतरिम आदेश में खंडपीठ ने कानून पर कुछ विस्तार से चर्चा की है और निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं: -

"यह विवाद में नहीं है; बल्कि दिनांक 31.05.2022 के आक्षेपित निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने जिला स्तरीय जाति जांच समिति के समक्ष इस मुद्दे को उठाया था कि कुमारी माधुरी पाटिल (पूर्वोक्त) के प्रकरण में निर्णय के संदर्भ में इस तरह के प्रकरण की सतर्कता अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से जांच करने की आवश्यकता है। कुमारी माधुरी पाटिल (पूर्वोक्त) के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय तब तक लागू होगा जब तक कि राज्य द्वारा इस विषय पर उपयुक्त विधान तैयार नहीं कर लिया जाता। आज तक, ऐसा कोई विधान उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अधिनियमित नहीं किया गया प्रतीत होता है और इस तरह कुमारी माधुरी पाटिल (पूर्वोक्त) के प्रकरण में निर्णय में

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



निहित दिशा-निर्देश इस क्षेत्र में हैं। कुमारी माधुरी पाटिल (पूर्वोक्त) के प्रकरण में दिशानिर्देश संख्या 5 और 6 जैसा कि निर्णय के पैराग्राफ -13 में निहित है, एक सतर्कता प्रकोष्ठ का निर्माण करने का आदेश देता है जिसमें वरिष्ठ पुलिस उपाधीक्षक ओवर-ऑल इंचार्ज होते हैं और उक्त सेल को पुलिस निरीक्षकों की संख्या होती है, जो सामाजिक स्थिति के दावों की जांच करता है। इसमें यह भी कहा गया है कि सतर्कता प्रकोष्ठ के निरीक्षकों को स्थानीय निवास स्थान और मूल स्थान पर जाना होगा, जहां से उम्मीदवार आता है और आमतौर पर निवास करता है। इसमें यह भी निर्देश दिया गया है कि सतर्कता प्रकोष्ठ पूरी तरह से जांच करेगा जिसका जिला स्तरीय जाति जांच समिति द्वारा लिए जाने वाले निर्णय के परिणाम पर प्रासंगिक प्रभाव पड़ेगा।

हालांकि, यह मुद्दा कि क्या जिला स्तरीय जाति जांच समिति सतर्कता जांच कराने के लिए बाध्य है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, डिवीजन बेंच द्वारा पारित दिनांक 30.06.2022 के आदेश के माध्यम से पूर्ण पीठ द्वारा निर्णय के लिए भेजा गया है। इस प्रकार, जब तक पूर्ण पीठ इसे संदर्भित प्रश्न का उत्तर नहीं देती है, तब तक हमारी सुविचारित राय में, अपीलीय समिति यानी मंडल स्तरीय जाति जांच समिति के लिए सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा जांच की आवश्यकता के मुद्दे से निपटना संभव नहीं होगा। तदनुसार, याचिकाकर्ता को संभागीय स्तर की जाति जांच समिति के समक्ष अपील के उपाय का लाभ उठाने के लिए बाध्य करना, हमारी सुविचारित राय में, उसके लिए पूर्वाग्रह पैदा कर सकता है।”

8. एक बार जब कुमारी माधुरी पाटिल (पूर्वोक्त) के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून क्षेत्र में आ जाता है और इस प्रकरण में इस न्यायालय ने संतुष्ट कर दिया कि प्रकरण को कभी भी सतर्कता प्रकोष्ठ को नहीं भेजा गया था, तो आक्षेपित आदेशों को कायम नहीं रखा जा सकता है। प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 ने अनुसूचित जाति श्रेणी में धनगर जाति के याचिकाकर्ता के पिता को जारी जाति प्रमाण पत्र की अनदेखी करने में गलती की है, बिना इसकी वास्तविकता के बारे में उचित जांच किए बिना, केवल तहसीलदार की रिपोर्ट पर भरोसा किया है।

9. परिणामस्वरूप, रिट याचिका सफल होती है और स्वीकृत की जाती है। प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 द्वारा क्रमशः दिनांक 31.10.2025 और 02.02.2026 के आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया जाता है। प्रत्यर्थीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे कुमारी माधुरी पाटिल (पूर्वोक्त) में सुप्रीम



कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के जनादेश का पालन करें और प्रकरण को नए सिरे से सतर्कता प्रकोष्ठ को भेजें और फिर सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर उचित आदेश पारित करें।

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार)

18 मार्च, 2026

अशोक कुमार

Translated Version. Not for Legal Use.